1/6

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport and Highways)
जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075
G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075

दूरभाष / Phone : 91-11-25074100/25074200
फैक्स / Fax : 91-11-25093507 / 25093514

M/s SIVATPL Concessionaire – IC, ICT – Bolt Manager – Six lane
Pl. take a/c accordingly 5/7/11

NHAI/13013/577/CO/10-11/GC Varanasi (786.0-978.4) BOT 28.06.2011

Project Director – PIU
National Highways Authority of India
S-8/108 DIG Colony,
Maqbool Alam Road, Varanasi -220 001
Ph. 0542-2208073 & 0542-2203530

Sub: Fee notification for Varanasi – Aurangabad section from Km 317.00 – Km 319 VRM Bypass taking off at Km 319.00 and merging at Km 21.00 (30 Kms length and Km 21.00 – Km 180.00 (New chainage 786.000 – Km 978.400) the National Highway number 2 in the State of Uttar Pradesh and Bihar under BOT.

Dear Sir,

Enclosed please find fee notification no. S.O. 1416 (E) dated 16.06.2011 published in Official Gazette on 16.06.2011 & collected by us in person on 28.06.2011. The copy of the notification is already e-mail to PIU.

Please keep us informed about the progress in start of collection of user fee.

28/06/2011
(Abdul Ali)
General Manager (CO)

SOMA ISOLUX
Varanasi Aurangabad Tollway Pvt. Ltd.
(NH-2)
Received: Date 9/7/11

Encl. As above

Copy alongwith a copy of referred notification to:

1. RO Bihar
2. GM(T) Bihar
3. Assistant Executive Engineer (PPP), MoRT&H
4. Section Officer (Parliament Cell), MoRT&H
5. Librarian

परियोजना निदेशक का कार्यालय
Office of the Project Director
भा.रा.रा.प्रा.प.का.ई.वाराणसी / NHAI,PIU,Varanasi
डायरी सं. / Diary No. 13579 दिनांक / Date 5-7-11
मिसिल / File Toll & Six lane

2/6

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1178] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 16, 2011/ज्येष्ठ 26, 1933
No. 1178] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 16, 2011/JYAISTHA 26, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2011

का.आ. 1416(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क खंड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 78(अ), तारीख 4 फरवरी, 1999 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 के 0.00 कि.मी. से 334.00 कि.मी. (कानपुर-वाराणसी सेक्शन), 0.00 कि.मी. से 46.00 कि.मी. (वाराणसी-उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा सेक्शन)और बिहार राज्य के 46.00 कि.मी. से 398.750 कि.मी. (उत्तरप्रदेश/बिहार सीमा-बारवा अड्डा सेक्शन) तक के खण्ड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था;

और प्राधिकरण ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के अनुसरण में, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 के 317.00 कि.मी. से 319.00 कि.मी., वी.आर.एम. बाईपास जो कि 319.00 कि.मी. से प्रारम्भ होकर 21.00 कि.मी. पर मिलता है और 21.00 कि.मी. से 180.00 कि.मी. (नया चैनेज 786.00 कि.मी. से 978.400 कि.मी.) (वाराणसी-औरंगाबाद सेक्शन) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सेक्शन कहा गया है), तक के विद्यमान चार लेन वाले सेक्शन को 6 लेन का बनाने, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए मैसर्स सोमा आईसोलेक्स वाराणसी- औरंगाबाद टौलवे प्राइवेट लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 8वां तल, ब्लाक बी, वाटिका टावर, गोल्फ लिंक्स रोड, सेक्टर-54, गुड़गांव-122002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'रियायतग्राही' कहा गया है) के साथ डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और स्थानांतरण के आधार पर एक करार किया है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 673(अ), तारीख 26 अप्रैल, 2007, अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1500(अ), तारीख 7 सितम्बर, 2007 और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1391(अ), तारीख 4 जून, 2008 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह अधिसूचित करती है कि उक्त सेक्शन के उपयोग के लिए, फीस नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट यांत्रिक यानों के प्रकार पर उसके स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट आधार दर पर उद्ग्रहीत और संग्रहीत की जाएगी और उक्त नियमों और उक्त रियायत करार के उपबंधों के अधीन और उनके अनुसार उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, समाप्ति की तारीख तक, उक्त फीस को संग्रहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

सारणी

क्रम संख्या	यान का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति एक ओर की यात्रा के लिए प्रति यान प्रति किलोमीटर आधार फीस की दर (रुपये में)
(1)	(2)	(3)
1.	कार, जीप , वैन या हल्के मोटर यान	0.65
2.	हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के माल वाहक यान या मिनी बस	1.05
3.	बस या ट्रक	2.20
4.	भारी संनिर्माण मशीनरी (भ.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय यान (ब.धु.य.) (तीन से छह धुरी)	3.45
5.	अधिक बड़े आकार वाले यान (सात या अधिक धुरीय)	4.20

टिप्पण :--

(1) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए ,-

(i) "वास्तविक फीस " से उक्त सेक्शन के सड़क उपयोक्ताओं से निम्नलिखित आधार पर प्रभारित वास्तविक फीस अभिप्रेत है ;

(क) परियोजना राजमार्ग की लम्बाई जो प्रत्येक फीस प्लाजा के लिए नियुक्त की गई है ;

(ख) उपर्युक्त सारणी में दी गई आधार फीस सम्यक रूप से सूचीबद्ध और पांच रूपये के निकटतम पूर्णांक में होगी ।

(ii) "वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जब उक्त सेक्शन के संबंध में उक्त करार के अनुसार सभी पूर्ववर्ती शर्तो का समाधान करने के पश्चात् वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ होता है ।

(iii) "समाप्ति की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जब प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच करार, उक्त करार के उपबंधों के अनुसरण में समाप्त होता है या समाप्ति की सूचना द्वारा समाप्त किया जाता है ।

(iv) उन शब्दों और पदों के जो इस अधिसूचना में प्रयुक्त है और इसमें परिभाषित नहीं है किन्तु प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच में हुए करार में परिभाषित हैं , वही अर्थ होंगे जो उक्त करार में हैं ।

2. फीस का संग्रहण निम्नलिखित अवस्थानों के पथकर प्लाजाओं पर प्रत्येक पथकर प्लाजा के सामने विनिर्दिष्ट दूरी के लिए किया जायेगा ।

क्रम सं.	पथकर - प्लाजा का अवस्थान (नया चैनेज)	लम्बाई (कि.मी. में)जिसके लिए फीस संदेय है
1.	800.00 कि.मी	55.00
2.	860.00 कि.मी	42.60
3.	907.100 कि.मी	94.80

3. फीस के संदाय से छूट, अतिभराई वाहनों के लिए फीस की दर, दर में छूट उक्त नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

4. किसी भी व्यक्ति के अनुरोध पर रियायतग्राही उसे पचास या उससे अधिक एकतरफा टिकटों, के लिए रियायती मूल्य, यानों की प्रवर्ग के लिए जो कि वास्तविक संदेय फीस के दो तिहाई के बराबर होगा ,जारी करेगा जो कि एक मास के लिए वैध होगें ।

5. फीस का पुनरीक्षण पूर्ववर्ती पुनरीक्षण की तारीख से छः मास की अवधि के भीतर नही किया जायेगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/577/सी.ओ./10-11/जीसी वाराणसी (786-978)बी.ओ.टी.]

बी. बी. महापात्र, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2011

S.O. 1416(E).— Whereas, vide notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Roads Wing) number S.O. 78 (E), dated the 4th February 1999, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), (hereinafter referred to as the said Act) entrusted the stretches from Km 0.00- Km 334.00 (Kanpur – Varanasi section), Km 0.00 – Km 46.00 (Varanasi – Uttar Pradesh/ Bihar Border section) in the State of Uttar Pradesh and Km 46.00 – Km 398.750 (Uttar Pradesh/ Bihar Border – Barwa Adda section) in the State of Bihar of National Highway No. 2 to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

And whereas, pursuant to the powers conferred by section 14 of the said Act, the Authority has entered into an agreement with M/s Soma Isolux Varanasi Aurangabad Tollway Private Limited, having its registered office at 8th Floor, Block – B, Vatika Towers, Golf Links Road, Sector – 54, Gurgoan -122002, Haryana (hereinafter referred to as the Concessionaire) for the development, operation and maintenance of the existing four lane section from Km 317.00 – Km 319.00, VRM Bypass taking off at Km 319.00 and merging at Km 21.00 and Km 21.00 – Km. 180.00 (New chainage Km 786.00 – Km 978.400) (Varanasi – Aurangabad section) of National Highway No. 2 in the State of Uttar Pradesh

and Bihar (hereinafter referred to as the said section) to six lane divided carriageway on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act,1956 read with the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, and in supersession of the notifications of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 673 (E), dated the 26th April, 2007, S.O. 1500 (E) dated 7th September, 2007 and S.O.1391 (E) dated 4th June, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on category of mechanical vehicles specified in column (2) of the following Table, for the use of said section at the base rate specified in column (3) thereof, and authorises the said Concessionaire to collect and retain the fee subject to and in accordance with the said rules and the provisions of the said Concession Agreement on and from the date of commercial operation or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date, namely:--

TABLE

Sl. No.	Type of Vehicle.	Base rate of fee per vehicle per km per one-way trip for base year 2007-08. (In rupees)
(1)	(2)	(3)
1.	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle.	0.65
2.	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus.	1.05
3.	Bus or Truck.	2.20
4.	Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle. (MAV) (three to six axles)	3.45
5	Oversized Vehicles. (seven or more axles)	4.20

Notes:-

1. For the purpose of this notification,-

(i) "actual fee" means the fees actually charged from the road users of the said section on the basis of-

(a) length of the project highway assigned to each fee plaza;

(b) base fee rates provided in the above Table duly indexed, and shall be rounded off to nearest Five rupee;

(ii) "date of commercial operation" means the date on which commercial operation of the said section begins after satisfying all Conditions Precedent in accordance with the said agreement;

(iii) "termination date" means the date on which the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire expires pursuant to the provisions of the said agreement or is terminated by termination notice;

(iv) words and expressions used in this notification and not defined but defined in the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire in respect of the said section shall have the same meaning as assigned to them respectively in the said agreement.

2. The fee shall be collected at the following location of Toll Plazas for the distance specified against each Toll Plaza:

S. No.	Location of Toll Plaza. (New chainage)	Length (in km) for which Fee payable.
1	Km 800.00	55.00
2	Km 860.00	42.60
3	Km 907.100	94.80

3. Exemption from payment of fee, rates of fee for overloaded vehicles, discounts in rates etc shall be in accordance with the said rules.

4. Upon request from any person for issue of fifty or more one way toll tickets, the concessionaire shall issue such tickets valid for a period of one month, at a discounted rate equivalent to two – third of the fee payable for that category of vehicles.

5. No revision shall be effected within a period of six months from the date of the preceding revision of fee.

[F. No. NHAI/13013/577/CO/10-11/GC-Varanasi (786-978) BOT]

B. B. MOHAPATRA, Director

2273 GI/11-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.